

-----  
मासंप्र विभाग,  
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा  
द्वारा जारी  
-----

**भारत में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए परिपत्र**

महोदय/ महोदया,

विषय: वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए सभी स्टाफ पेंशनभोगियों (स्वयं तथा परिवार) से जीवन प्रमाणपत्र/ गैर - पुनर्विवाह/ अविवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

जैसा कि आप जानते हैं कि स्टाफ पेंशनभोगियों (स्वयं तथा परिवार) को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है।

वर्तमान कोविड 19 महामारी और वृद्ध आबादी के जीवन के प्रति कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए एक्स एम्पलॉय पोर्टल के माध्यम से 12 अक्तूबर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है।

तदनुसार, बहुत से पेंशनभोगी एक्स-एम्पलॉयी पोर्टल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसे शाखाओं द्वारा अधिकृत किया जाना है।

यदि किसी भी अधिकारी द्वारा एक्स एम्पलॉयी पोर्टल में **जीवन प्रमाण-पत्र** का प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है, तो बैंक के किसी भी अधिकारी द्वारा पोर्टल में पेंशनभोगी के जीवन प्रमाणपत्र के प्रमाणित किए जाने तक, जनवरी, 2022 माह से पेंशन को रोक दिया जाएगा. अतः शाखा अधिकारियों को कर्मचारी पोर्टल पर समय से जीवन प्रमाण-पत्र को प्राधिकृत करने के लिए सूचित किया जाता है।

**एक्स एम्पलॉय पोर्टल में जीवन प्रमाण-पत्र को प्राधिकृत करने हेतु शाखाओं के लिए दिशानिर्देश**

स्टाफ पेंशनभोगियों (स्वयं एवं परिवार) द्वारा एक्स एम्पलॉय पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए यूआरएल है:

<https://smepaisa.bankofbaroda.co.in/ContMedicalAdmin/index.aspx>

**अधिकारी** को जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन करने और आगे इसे प्रधान कार्यालय को अग्रेषित करने के लिए **बॉब डोमेन आईडी** और **पासवर्ड** का उपयोग कर लॉगिन करना होगा (जॉब कार्ड संलग्न है)।

२

५/१०/२१

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).

**Head Office** : HRM - 6<sup>th</sup> Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).

ई-मेल/E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com, वेबसाइट/Website : www.bankofbaroda.com

1. पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार **किसी भी** शाखा में जा सकते हैं।
2. **किसी भी शाखा का कोई भी अधिकारी** स्टाफ पेंशनभोगी के जीवन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत और प्राधिकृत कर सकता है।
3. शाखाएं मृत्यापन करने और संतुष्ट होने के बाद कि पेंशनभोगी जीवित है, एक्स एम्पलॉयी पोर्टल में ऐसे कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र **सीधे** प्रस्तुत कर सकती हैं जिन्होंने अपना अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किया है।
4. शाखाओं को ऐसे पेंशनभोगी की संख्या का पता लगाना चाहिए जिनका जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना लंबित है और उसे प्रस्तुत नहीं करने के कारणों का पता लगाने के लिए पेंशनभोगी/ पेंशनभोगी के परिवार से संपर्क करना चाहिए।
5. वर्तमान प्रक्रिया के लिए **दिनांक 01 नवंबर, 2021 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले स्टाफ सदस्यों** से संबंधित जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
6. ऐसे मामले जहां पेंशनभोगी शाखाओं में विजिट करने में असमर्थ हैं और ऐसे व्यक्ति जो पहले ही ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर चुके हैं, शाखाएं निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन कर जीवन प्रमाणपत्र प्राधिकृत या प्रस्तुत कर सकती हैं:

- पेंशनभोगी के निवास पर विजिट कर।
- पेंशनभोगी के पंजीकृत मोबाइल नंबर (बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार) पर वीडियो कॉल करके और/ या पेंशनभोगी के जीवित होने की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद।
- बैंक के परिपत्र सं. एचओ:बीआर:112:24 दिनांक 20.01.2020 में उल्लिखित अनुसार पेंशनभोगियों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की सेवाएं प्रदान कर।

कृपया नोट करें कि बैंक के परिपत्र सं. बीसीसी:आरएल: 113: 8012 दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से 01 अक्टूबर, 2021 को आयोजित बैंक के अभियान "ऑनरिंग सीनियर सिटीजन" के अंतर्गत हम अक्टूबर, 2021 माह के दौरान प्रति वरिष्ठ नागरिक को अधिकतम 3 सेवाओं तक नि:शुल्क डोरस्टेप सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

शाखाएं यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि स्टाफ पेंशनभोगी (स्वयं और परिवार) प्राधिकृत करने की तारीख को जीवित है, जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना या प्राधिकृत करें।

शाखाओं द्वारा प्राप्त जीवन प्रमाणपत्र की हार्ड कॉपी (अनुलग्नक ए में उल्लिखित प्रोफार्मा के अनुसार) को शाखा में पेंशनभोगी की फाइल में रखा जाना चाहिए और इसे प्रधान कार्यालय को **नहीं** भेजा जाए।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियमन, 1995 के अनुसार परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता को पुनर्विवाह नहीं करने या अविवाहित होने का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक बी में उल्लिखित फॉर्मेट के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा. किसी अन्य आश्रित को परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता (विधुर, अविवाहित बेटी) होने के मामले में प्राप्तकर्ता द्वारा पुनर्विवाह नहीं करने/ अविवाहित होने और गैर-नियोजन या गैर-पुनर्नियोजन का प्रमाणपत्र प्रत्येक छह महीने



के अंतराल अर्थात् मई और नवंबर में (अमुलग्रक वी में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करना आवश्यक है. प्रमाणपत्र की प्रति प्रधान कार्यालय को भेजी जाए।


ऐसे मामले में जहां पुत्र/ पुत्री किसी भी ऐसे विकार या दिव्यांगता (मानसिक या शारीरिक) से पीड़ित है जिसके कारण वह अधिकतम आयु सीमा प्राप्त करने के बाद भी आजीविका अर्जित करने/ जुटाने में असमर्थ है, वहां अभिभावक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक तीसरे वर्ष में नवंबर माह में चिकित्सा अधिकारी जो सिविल सर्जन के रैंक से नीचे का न हो, से प्राप्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह व्यक्ति अभी भी विकार या दिव्यांगता से पीड़ित है।

ऐसे मामलों में, अभिभावक को भी प्रत्येक छह महीने में ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने अपनी आजीविका अर्जित करना शुरू नहीं किया है तथा कन्या के मामले में, यह कि वह अविवाहित है।

इसकी एक प्रति शाखाओं और कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें और सभी सदस्यों को इस संबंध में जागरूक करें।

इस मामले में किसी भी स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन के लिए कृपया pension.ho@bankofbaroda.com पर ई-मेल करें या 0265-2316640/ 6620 पर टेलीफोन करें।

भवदीय,



(एस कन्नन)

प्रमुख (एचआरसीपीसी एवं सेवान्त लाभ)



ISSUED BY  
HRM DEPARTMENT  
HEAD OFFICE, BARODA

**CIRCULAR TO ALL BRANCHES/ OFFICES IN INDIA**

Sir/Madam,

**Re: Obtaining Life Certificate/ Non-Re-Marriage/ Non-Marriage certificate from all staff pensioners (self and family) for the financial year 2021-2022**

You are well aware that Life Certificates of Staff Pensioners (Self and Family) are to be submitted in the month of November every year.

In view of the ongoing Covid-19 pandemic and keeping the view of vulnerability of elderly population to Corona Virus, provision for submitting Life Certificate online through Ex Employee portal has been provided to the pensioners from 12<sup>th</sup> October 2021 to 31<sup>st</sup> December 2021.

Accordingly, many pensioners will be submitting their Life Certificates online through ex-employee portal **which is to be authorized by branches.**

In case certification by any Officer is not done in the ex-employee portal at branch level, pension will be stopped from the month of January 2022 till the time pensioner's Life Certificate is authorized by any officer of the Bank in the portal. Hence Branch officials are advised for timely authorization of Life Certificates at Employee portal.

**Guidelines to branches for authorizing Life Certificates in ex-employee portal.**

URL of Ex Employee portal for submission of Life Certificate of Staff pensioners (self and family) is <https://smepaisa.bankofbaroda.co.in/ContMedicalAdmin/index.aspx>

**Officers** to login using **BOB Domain ID** and **Password** for verification of Life Certificate and onward submission to HO (Job Card Attached herewith).

1. Pensioners can visit **any** branch as per his/her convenience for submission of Life Certificate.
2. **Any officer of any branch** can submit and authorize staff pensioner's Life Certificate.
3. Branches can submit Life Certificate in Ex-employee portal **directly** for pensioners who have not submitted their requests online, after verifying and satisfying themselves that the pensioner is alive.
4. Branches to ascertain number of pensioners whose Life Certificate submission is pending and get in touch with the pensioner/ family of the pensioner for ascertaining the reasons for non-submission.
5. Life Certificate pertaining to **retirees retiring post 01<sup>st</sup> November 2021 is not required to be submitted** for the current process.

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छाटा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).

**Head Office** : HRM - 6<sup>th</sup> Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).

ई-मेल/E-mail : [hrm.ho@bankofbaroda.com](mailto:hrm.ho@bankofbaroda.com), वेबसाइट/Website : [www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com)



6. Cases where pensioners are unable to visit branches and for those who have already submitted requests online, branches may authorize or submit Life Certificate by adhering to the following procedures:

- Visiting the pensioners residence
- Making video call on registered mobile number (as per Bank's record) of the pensioner and or after satisfying the genuineness of submission that the pensioner is still alive.
- To provide the services of Door step Banking to the pensioners as mentioned in Bank's circular No. HO:BR: 112:24 dated 20.01.2020.
- Please note that under the bank's campaign "Honouring Senior Citizens" on 01/10/2021 vide bank's circular No. BCC:RL:113:8012 dated 30.09.2021, we can provide Free Doorstep Services upto maximum of 3 services per senior citizen during the month of October 2021. Which branches can utilize at its maximum.

**Branches to submit or authorize Life Certificates of Staff Pensioners (Self and Family) ONLY after ascertaining that he/she is alive on the date of authorization.**

Hard copy of Life Certificate obtained by branches (as per proforma given in Annexure A) to be retained in pensioner's file at branch and is **NOT** to be sent to Head Office.

As per Bank of Baroda Employees' Pension Regulation, 1995, recipient of family pension needs to submit certificate of non-re-marriage or non-marriage (as per format given in Annexure B). In case of any other dependent being the recipient of family pension (a widower, an unmarried daughter) certificate of non-re-marriage/ non-marriage and certificate of non-employment or non-re-employment is required to be furnished by the recipient at every six month's interval i.e. in May & November (as per prescribed format given in Annexure B). Copy of the certificate is to be sent to HO.

In case where the son/daughter is suffering from any disorder or disability (mental or physical) as to render him/her unable to earn a living even after attaining the maximum age limit, the person receiving the family pension as guardian should produce a certificate from Medical Officer not below rank of Civil Surgeon to the effect that the person continues to suffer from disorder or disability every three years in the month of November.

In such cases, the guardian shall also be required to furnish a certificate every six months that he/she has not started earning his/her livelihood and in case of a girl that she is unmarried.

A copy of this may be displayed on notice board at branches and offices and all staff members is to be sensitized on this issue.

In case of any clarification/guidance, please reach out to us over mail at pension.ho@bankofbaroda.com or telephone at 0265-2316640/6620.

  
S Kannan  
Head (HRCPC & Terminal Benefits)



बैंक ऑफ़ बड़ौदा स्टाफ पेंशनभोगी (स्वयं/ फैमिली) के लिए  
जीवन प्रमाणपत्र /  
LIFE CERTIFICATE  
For BOB Staff Pensioner (Self/Family)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्टाफ पेंशनभोगी (स्वयं/ परिवार) श्री/ श्रीमती  
\_\_\_\_\_ (पेंशन प्राप्त करने वाले का नाम) क कू सं. \_\_\_\_\_ को देखा है और वह  
आज की तारीख में जीवित हैं.

Certified that I have seen the staff pensioner (self/family) Shri/Smt  
\_\_\_\_\_ (Name of pension recipient) having EC  
No. \_\_\_\_\_ and that he/she is alive on this date.

स्थान/ Place:

दिनांक/ Date:

\_\_\_\_\_  
शाखा प्रमुख/ प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम  
Name & Designation of the Branch Head / Authorized Officer

मुहर/ Seal



गैर-पुनर्विवाह/ अविवाह से संबंधित प्रमाणपत्र/ CERTIFICATE OF NON-RE MARRIAGE / NON MARRIAGE

सेवा में/ To

शाखा प्रबंधक/ The Branch Manager  
बैंक ऑफ़ बड़ौदा/ Bank of Baroda  
\_\_\_\_\_ शाखा/ branch

महोदय/ महोदया/ Dear Sir,

मैं एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूं कि मैं विवाहित नहीं हूं/ मैंने पिछले छह महीनों के दौरान विवाह नहीं किया है/ I hereby declare that I am not married / I have not been married during the past six months.

या/ OR

\*मैं एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूं कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है और मैं वचन देता/ देती हूं कि ऐसे किसी भी मामले में बैंक को तुरंत सूचित करूंगा/ करूंगी/ \*I hereby declare that I have not been re-married and I undertake to report such an event promptly to the Bank.

गैर-नियोजन/ पुनर्नियोजन प्रमाणपत्र/ CERTIFICATE OF NON-EMPLOYMENT / RE-EMPLOYMENT

मैं एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूं कि मैं किसी सरकारी विभाग/ कार्यालय, कंपनी, निगम/ स्वायत्त निकाय या केंद्रीय/ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश/ स्थानीय निकाय की सोसाइटी के किसी पद पर सेवारत नहीं हूं./ I hereby declare that I am not serving in any capacity either in a Govt. Department/Office, Company, Corporation/autonomous body or society of Central/State/U.T./Local Body.

या/ OR

मैं घोषणा करता/ करती हूं कि मैं दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ के कार्यालय में नियोजित/ पुनर्नियोजित हुआ/ हुई हूं जोकि केंद्र/ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश/ स्थानीय निकाय द्वारा आंशिक/ पूर्ण रूप से वित्तपोषित है./ I declare that I have been employed/re-employed in the office of \_\_\_\_\_ w.e.f. \_\_\_\_\_ which is partly/fully financed by Central/State/UT/Local body.

भवदीय/ Yours faithfully,

( )

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर/ Signature of declarant

वर्तमान आवासीय पता/ Present Residential Address :

मोबाइल नं/ फोन नं/ Mobile No. / Phone No.:

दिनांक/ Date :

स्थान/ Place :

(\*केवल विधवा द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त किए जाने के मामले में लागू तथा केवल एक बार प्रस्तुत किया जाए).

(\*Applicable only for widow recipient of family pension and is to be furnished only once).

मैं प्रमाणित करता/ करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सही है.  
I certify that to the best of my knowledge and belief that the above declaration is correct.

( )

साक्षी के हस्ताक्षर/ Signature of witness

नाम/ Name :

पता/ Address :

मोबाइल नं/ फोन नं/ Mobile No. / Phone No.:

दिनांक/ Date :

स्थान/ Place :




## जॉबकार्ड / JOBCARD

डोमेन आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें / Enter Domain ID and Password

उदाहरण डोमेन आईडी/ Domain ID vk23456

Example पासवर्ड / Password Welcome1



https://smepesa.bankofbaroda.co.in/Contst-MedicalAdmin/index.aspx

File Edit View Favorites Tools Help

Finacle Universal Banking ... Payroll

**BANK OF BARODA - EX-EMPLOYEE PORTAL**

Please Enter your login credentials

USER ID

PASSWORD

Type here to search

12:24 11-10-2021



पेंशनभोगी के जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत / सत्यापन करने हेतु :


पेंशन (Pension) टैब के अंतर्गत **जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate)** पर क्लिक करने के पश्चात पेंशनभोगी का कर्मचारी कूट संख्या प्रविष्ट करें, स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरणों की जांच करें, यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को जीवित है, की घोषणा के साथ उपलब्ध बॉक्स को **टिक** करें और सबमिट पर क्लिक करें.

किसी शाखा विशेष के पेंशनभोगियों की सूची और उनके जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति को देखने के लिए : सर्च (Search) टैब में शाखा का अल्फा प्रविष्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें.

**For submission/ verification of Life Certificate of pensioners:**

Enter EC No of the pensioner after clicking on **Life Certificate** under **Pension** Tab, check details displayed on screen, **tick** check box against declaration after ascertaining that pensioner is alive on the date of submission of Life Certificate and click submit.

**For viewing list of pensioners of a particular branch and status of their Life Certificate submission:** Enter Branch ALPHA in Search Tab and click submit.



File Edit View Favorites Tools Help

TRUST Welcome to The World Of... Pension Payslip Suggested Sites Web Slice Gallery

**बैंक ऑफ़ बड़ोदा**  
**Bank of Baroda**

**BOB STAFF PENSIONER LIFE CERTIFICATE**

MR. CHAUDHARY RITESH SHASHIKANT Branch User-HEADOFF

Home Submit & Verify life certificate Search Logout

**SUBMIT FORM**

EC No.	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Get Details"/>
Name of beneficiary	Pension Type
Pension Type	<input type="text"/>
Pension Branch Alpha	<input type="text"/>
Timestamp	05-11-2020 11:40:39
Name of Authority	MR. CHAUDHARY RITESH SHASHIKANT
STATUS	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	I Certify that I have seen the pensioner having ECNO and that he/she is alive on this date
<input type="button" value="Submit"/>	



## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मैं जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और सत्यापित करने के लिए टैब देखने में असमर्थ हूं
  - केवल अधिकारी ही जीवन प्रमाण पत्र की प्रस्तुतिकरण को स्वीकार और अधिकृत कर सकते हैं.
2. मेरे पास अपनी शाखा से संबंधित पेंशनभोगियों की सूची नहीं है
  - कर्मचारी एक्स-एम्प्लॉयी पोर्टल के सर्च टैब के अंतर्गत शाखा अल्फा को दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें. उल्लिखित अल्फा से संबंधित पेंशनभोगियों की सूची प्रदर्शित होगी.
3. पेंशन लाभार्थी का नाम कर्मचारी कूट संख्या दर्ज करने के बाद प्रदर्शित नहीं होता है.
  - यह सुनिश्चित करें कि सही कर्मचारी कूट संख्या दर्ज किया गया है. यदि सही कर्मचारी कूट संख्या दर्ज करने के बाद भी समस्या बनी रहती है तो कृपया आ रही त्रुटि की स्क्रीन शॉट के साथ स्टाफ पेंशन विभाग, प्रधान कार्यालय से संपर्क करें.
4. अन्य शाखा के पेंशनभोगी मेरी शाखा में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का अनुरोध कर रहे हैं
  - शाखा ऐसे स्टाफ पेंशनभोगी (स्वयं / परिवार) जिनके पास भारत में **कहीं भी** स्थित पेंशन भुगतान करने वाली शाखा में खाता है उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जीवन प्रमाण-पत्र को यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे प्राधिकरण की तारीख को जीवित हैं, जमा और प्राश्चित कर सकती है.
5. मेरे पीसी में यूआरएल नहीं खुल रहा है
  - कृपया दर्ज किए गए यूआरएल की जांच करें. सत्यापन के लिए यूआरएल केवल सीबीएस पीसी में एक्सेस किया जाना है.



## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- 1) I am unable to view tab Submit and verify Life Certificate
  - Only officers can accept and authorize submission of Life Certificate.
- 2) I don't have list of pensioners pertaining to my branch
  - Employee to enter branch ALPHA under Search tab of Ex Employee portal and click submit. List of pensioners pertaining to the mentioned ALPHA will be displayed.
- 3) Name of pension beneficiary does not display after entering EC no.
  - Ensure that correct EC No. has been entered. In case, even after entering correct EC no. issue persists, kindly contact Staff Pension Department, HO along with screenshot of error faced.
- 4) Pensioner of other branch is asking for submission of Life Certificate at my branch
  - Branch can submit or authorize Life Certificate submitted by staff pensioners (self/family) having pension paying account branch **anywhere** in India after ascertaining that he/she is alive on the date of authorization.
- 5) URL is not opening in my PC
  - Please check the URL entered. URL for verification is to be accessed in CBS PC only.